

भारत सरकार  
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय  
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 641  
उत्तर देने की तारीख: 06.02.2024

आंध्र प्रदेश में गरिमा गृह

641. श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि आंध्र प्रदेश में कोई भी गरिमा गृह कार्यशील नहीं है;
- (ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा राज्य में कार्यशील गरिमा गृहों की स्थापना करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;
- (ग) इस योजना के लिए आबंटित निधियों और इसके उपयोग का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
- (घ) आंध्र प्रदेश में 'आजीविका और उद्यम के लिए सीमांत व्यक्तियों को सहायता' (स्माइल) के अंतर्गत नामांकित लाभार्थियों का जिला-वार ब्यौरा क्या है; और
- (ङ.) सरकार द्वारा स्माइल के अंतर्गत विशेषकर आंध्र प्रदेश हेतु व्यक्तियों के नामांकन में वृद्धि करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री  
(श्री ए. नारायणस्वामी)

(क) से (घ): मंत्रालय ने आन्ध्र प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों से सक्षम एवं पात्र सीबीओ/गैर-सरकारी संगठनों द्वारा ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए नए आश्रय गृहों की स्थापना हेतु सिफारिश करने का अनुरोध किया है।

वर्तमान में विभिन्न राज्यों अर्थात् दिल्ली, ओडिशा, तमिलनाडु, बिहार, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में 12 गरिमा गृह संचालनरत हैं। आबंटित निधियों का ब्यौरा अनुबंध-1 में दिया गया है। स्माइल स्कीम की "ट्रांसजेण्डर व्यक्तियों के कल्याण हेतु व्यापक पुनर्वास की केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम" की उप-स्कीम के अंतर्गत राष्ट्रीय ट्रांसजेण्डर पोर्टल विकसित किया गया है। इस उप-स्कीम में ट्रांसजेण्डर व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क किए बिना ट्रांसजेण्डर पहचान-पत्रों तथा प्रमाण-पत्रों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस पोर्टल पर आन्ध्र प्रदेश में नामांकित लाभार्थियों को टीजी प्रमाणपत्र जारी किए जाने संबंधी जिला-वार ब्यौरा अनुबंध-11 में दिया गया है।

(ड.): मंत्रालय ने स्माइल स्कीम के ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण हेतु व्यापक पुनर्वास की केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम की उप-स्कीम के विभिन्न घटकों के अंतर्गत लाभार्थियों के नामांकन में वृद्धि करने के लिए आन्ध्र प्रदेश सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को समय-समय पर निदेश जारी किए थे। राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान (एनआईएसडी), जो इस मंत्रालय का स्वायत्त निकाय है, के माध्यम से संचालित/आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों का निम्नानुसार है :-

- (i) ट्रांसजेंडर व्यक्ति संरक्षण अधिनियम, 2019, नियमावली, 2020 और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के राष्ट्रीय पोर्टल पर जिला मजिस्ट्रेट/जिला कलेक्टरों और डीएसडब्ल्यूओ अधिकारियों के लिए नियमित ऑनलाइन पुनर्वास प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।
- (ii) टीजी अधिनियम पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं जिनके अंतर्गत आंध्र प्रदेश के अधिकारियों सहित 640 प्रतिभागियों ने भाग लिया है।
- (iii) पोर्टल से संबंधित प्रश्नों के लिए एक हेल्पलाइन शुरू की गई है।
- (iv) टीजी अधिनियम, 2019 तथा नियमावली, 2020 पर ऑनलाइन वेबिनार आयोजित किए गए हैं जिनमें आंध्र प्रदेश सहित पूरे भारत के लोगों ने भाग लिया।

इसके अलावा, आंध्र प्रदेश राज्य सरकार से प्राप्त इनपुट के अनुसार, सभी संबंधित विभागों को शामिल करते हुए राज्य में 82 जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।

लोक सभा में दिनांक 06.02.2024 को उत्तर के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 641 के भाग (ग) के उत्तर के संबंध में उल्लिखित अनुबंध

निधियों के उपयोग का राज्य-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्रम सं.	गरिमा गृह का नाम	राज्य	निधियों का उपयोग (राशि रुपए में)
1	मित्र ट्रस्ट	दिल्ली	63,12,373
2	सखा	ओडिशा	57,93,572
3	ट्रांसजेंडर राइट्स एसोसिएशन	तमिलनाडु	38,93,815
4	दोस्ताना सफर	बिहार	58,80,300
5	किन्नर अस्मिता, ट्वीट फाउंडेशन और आरजू	महाराष्ट्र	1,62,15,578
6	मितवा संकल्प समिति	छत्तीसगढ़	56,03,503
8	लक्ष्य ट्रस्ट	गुजरात	54,04,463
9	नई भोर संस्था	राजस्थान	59,27,509
10	कोलकाता रिश्ता और गोखले रोड बंधन	पश्चिम बंगाल	76,06,730

लोक सभा में दिनांक 06.02.2024 को उत्तर के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 641 के भाग (घ) और (ड.) के उत्तर के संबंध में उल्लिखित अनुबंध

राष्ट्रीय ट्रांसजेण्डर पोर्टल पर कुल 2641 ट्रांसजेण्डर व्यक्तियों का नामांकन हुआ था जिसके अंतर्गत 2275 प्रमाण-पत्र जारी किए गए थे। स्माइल कार्यक्रम नामांकन में देश में आंध्र प्रदेश राज्य का रैंक तीसरा था। 'लाभवंचित व्यक्तियों के लिए आजीविका एवं उद्यम सहायता' स्कीम के अंतर्गत नामांकित लाभार्थियों का राज्य-वार ब्यौरा निम्नवत है :

क्रम सं.	जिले के नाम	ट्रांसजेण्डर व्यक्तियों को जारी किए गए प्रमाण-पत्रों की संख्या
1.	श्रीकाकुलम	81
2.	पार्वती पुरम मन्यम	82
3.	विजयनगरम	97
4.	अनकापल्ली	5
5.	अल्लूरी सीताराम राजू	13
6.	विशाखापत्तनम	143
7.	काकीनाडा	70
8.	पूर्वी गोदावरी	237
9.	डॉ. बीआर अंबेडकर कोनसीमा	3
10.	एलुरु	0
11.	पश्चिम गोदावरी	131
12.	कृष्णा	143
13.	एनटीआर	49
14.	गुंटूर	104
15.	पलनाडू	1
16.	बापतला	0
17.	प्रकाशम	135
18.	एसपीएसआर नेल्लोर	103
19.	तिरुपति	4
20.	चित्तूर	108
21.	अन्नमय्या	2
22.	वाईएसआर	125
23.	कुरनूल	391
24.	नांदयाल	18
25.	श्री सत्य साई	12
26.	अन्नथपुरामु	218
<b>कुल</b>		<b>2275</b>